

भारतीय रिज़र्व बैंक



पर्यवेक्षण विभाग

नई दिल्ली

क्षेत्रीय कार्यालय

RESERVE BANK OF INDIA

DEPARTMENT OF SUPERVISION

NEW DELHI

REGIONAL OFFICE



NBFC-ICC

पंजीकरण प्रमाण पत्र

CERTIFICATE OF REGISTRATION

(जनता की जमाराशियां स्वीकार करने के लिए वैध नहीं) (Not valid for accepting Public Deposits)

संख्या

No.

B-14.02552

भारतीय रिज़र्व बैंक अधिनियम, 1934 की धारा 45 आईए के द्वारा भारतीय रिज़र्व बैंक को प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए जयप्रिया कैपिटल प्राइवेट लिमिटेड को

पूर्व नामः पुशअप कन्सलटैन्ट्स प्राईवेट लिमिटेड)
दूसरी तरफ दी गयी शर्तों पर जनता से जमाराशियां स्वीकार किये बिना गैर-बैंकिंग वित्तीय संस्था का कारोबार प्रारंग करो/करते रहने के लिए यह

पंजीकरण प्रमाण पत्र

जारी किया गया।

In exercise of the powers conferred on the Reserve Bank of India by Section 45 IA of the

Reserve Bank of India Act, 1934

Jayapriya Capital Private Limited

(Earlier known as M/s Pushup Consultants Private Limited) is hereby granted

Certificate of Registration

to commence / carry on the business of non-banking financial institution without accepting public deposits subject to the conditions given on the reverse.

मेरे हस्ताक्षर के अधीन

नई दिल्ली

अक्टूबर दो हज़

तेईस की

इकत्तीसवीं तारीख को जारी किया गया।

Given under my hand at

New Delhi

this

Thirtyfirst

day of

October Two Thousand

Twenty three

(In lieu of earlier Certificate of Registration No. B-14.02552 dated January 30, 2002 issued by RBI New Delhi in the name of Pushup Consultants Private Limited)

शीला देवी

महाप्रबंधक / उप महाप्रबंधक

General Manager / Deputy General Manager



में